कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्य हितलाभ

चिकित्सा हितलाभ

ई.एस.आई.सी. बीमायोग्य रोज़गार में शामिल होने के पहले दिन से बीमित/बीमाकृत व्यक्ति और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान करती है। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को ई.एस.आई. डिस्पेंसरी तथा अस्पतालों में अपना पहचान–पत्र दिखा कर इलाज कराना होगा। ई–पहचान पत्र अब आपके नियोजक ही आसानी से बना सकते हैं।

चिकित्सा हितलाभ कैसे प्राप्त करें

बीमाकृत व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से औषधालय/डिस्पेंसरी का चुनाव कर सकता है। सहूलियत के लिए अपने निवास स्थान के पास वाली डिस्पेंसरी चुनें। जो बीमाकृत अपने परिवार से अलग किसी दूसरे/अन्य शहर में रहते हैं, वह परिवार हेतु अलग डिस्पेंसरी चुन सकते हैं।

बीमार होने की अवस्था में तुरंत डिस्पेंसरी में जाएं और चिकित्सक से इलाज करवाएं। अगर बीमारी की वजह से काम पर नहीं जा सकते हैं तो चिकित्सक इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र/सर्टिफिकेट जारी करेंगे। बीमारी अगर लम्बी चलती है तो नियमित अंतराल पर चिकित्सक से प्रमाणपत्र लें। यह प्रमाणपत्र शाखा कार्यालय में जमा कराएं ताकि बीमारी हितलाभ मिल सके।

किसी आकस्मिक स्थिति में जब डिस्पेंसरी या ई.एस.आई. अस्पताल न जा पाएं तो पैनल के अस्पताल में जाएं व अपना ई.एस.आई. संख्या उन्हें बताएं। पैनल अस्पतालों की सूची ई.एस.आई.सी. अस्पताल मानेसर व गुरुग्राम से प्राप्त करें। पैनल के अस्पताल न जाकर किसी अन्य अस्पताल जाने की स्थिति में अगर आकस्मिकता सिद्ध हो पायी, तो ही, बिलों की सी.जी.एच.एस. दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। बिलों को सम्बंधित डिस्पेंसरी में जमा कराएं व किसी प्रकार की असुविधा/परेशानी की स्थिति में सिविल सर्जन, ई.एस.आई. योजना (शमां रेस्टोरेंट के नज़दीक) सिविल लाइन गुरुग्राम से सम्पर्क करें।

बीमारी हितलाभ

बीमारी हितलाभ का भुगतान बीमित/बीमाकृत व्यक्ति को दो लगातार हितलाभ अवधियों में कुल 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए संबंधित अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए।

बीमारी हितलाभ कैसे प्राप्त करें

बीमारी हितलाभ के लिए, बीमार पड़ने पर कृपया अपनी ई.एस.आई. डिस्पेंसरी अथवा आई.एम.पी. के पास जाएँ। उपचार और दवाएं देने के बाद डॉक्टर इस संबंध में प्रमाण–पत्र जारी करेंगे। तीन दिनों तक बीमारी छुट्टी के मामलों में डॉक्टर उसी दिन फिटनेस प्रमाण–पत्र भी जारी कर देंगे।

चिकित्सा जाँच के बाद अगर आवश्यक होगा तो डॉक्टर पुनः आगे की अवधि के लिए बीमारी प्रमाण–पत्र जारी करेंगे, अन्यथा फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी कर देंगे।

भुगतान प्राप्त करने के लिए बीमारी प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र को स्वयं या किसी अन्य के द्वारा अपने ई.एस.आई.सी. शाखा कार्यालय में बैंक खातों के विवरण के साथ भेजें। आपके प्रमाण–पत्र जमा करने के साथ ही आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर शाखा कार्यालय द्वारा बीमारी हितलाभ का भुगतान कर दिया जाएगा।

जानने योग्य बातें

कृपया ध्यान दें, बीमारी हितलाभ बीमारी छुट्टी के प्रथम दो दिनों के लिए देय नहीं होता है। तीन दिन से अधिक छुट्टी के मामलों में डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख को डिस्पेंसरी अवश्य जाएं। यदि अस्पताल में दाखिल होने या किसी अन्य कारण से आप डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख पर पुनः डिस्पेंसरी नहीं जा पाएं तो प्रथम संभव तिथि पर उपचार, चिकित्सा जाँच से संबंधित सभी कागज़ातों के साथ ई.एस.आई. डिस्पेंसरी जाएं तथा डॉक्टर को सारी बातें बताएं।

बीमारी हितलाभ भुगतान से पहले आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय द्वारा नियोजक से अनुपस्थिति का सत्यापन भी कराया जाता है।

मातृत्व हितलाभ

मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 06 सप्ताह तक, कमीशनिंग माँ तथा दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन के बराबर नकद भुगतान किया जाता है।

मातृत्व हितलाभ पाने के लिए तुरंत पहले की दो अंशदान अवधियों में मिलाकर या किसी एक अंशदान अवधि कम से कम 70 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए।

मातृत्व हितलाभ कैसे पाएं

प्रसूति अथवा प्रसूति की संभावित तिथि की सूचना देने अथवा गर्भपात के मामले में कृपया अपनी ई.एस.आई. डिस्पेंसरी जाएं। इस संबंध में डॉक्टर फॉर्म भर कर देंगे जिसे बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र एवं गर्भपात के मामले में अस्पताल द्वारा दिये गए प्रमाण–पत्र के साथ अपने ई.एस.आई.सी. शाखा कार्यालय में जमा करना होगा।

नियोजक से अनुपस्थिति सत्यापन के बाद मातृत्व हितलाभ का भुगतान आपके बैंक खाते में कर दिया जाएगा।

ध्यान देने योग्य बातें

यदि किसी कारण से आप प्रसूति अथवा गर्भपात की सूचना ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरी या ई.एस.आई. शाखा कार्यालय में नहीं दे पाए तो जल्द से जल्द इसकी सूचना दें।

नि:शक्तता हितलाभ

नि:शक्तता हितलाभ रोज़गार चोट के कारण नि:शक्त हुए बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाता है। अस्थायी नि:शक्तता एवं पूर्ण स्थायी नि:शक्तता के मामलों में औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत

की दर से भुगतान किया जाता है तथा स्थायी आंशिक निःशक्तता के मामले में यह हितलाभ, कमाने की क्षमता में हुई हानि के अनुपात में जीवनपर्यंत दिया जाता है।

निःशक्तता हितलाभ प्राप्त करने की विधि

रोज़गार चोट के मामलों में आपके नियोजक 24 घंटे के अंदर दुर्घटना रिर्पोट भरेंगे। दुर्घटना रिपोर्ट की प्राप्ति पर ई.एस.आई.सी. शाखा कार्यालय द्वारा जाँच करने के बाद इसे रोज़गार चोट के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

रिपोर्ट स्वीकृत होते ही आपके बैंक खाते में निःशक्तता की वजह से नियोजन से अनुपस्थिति की अवधि का निःशक्तता हितलाभ का भुगतान किया जाने लगेगा।

जानने योग्य बातें

निःशक्तता हितलाभ पाने के लिए चोट लगने के बाद अस्पताल/डिस्पेंसरी से प्राप्त प्रथम उपचार प्रमाणपत्र अन्य उपचार/जाँच रिपोर्ट के कागज़ात और एमएलसी या एफ.आई.आर. की प्रति, यदि है, तो अपने साथ रखें तथा शाखा प्रबंधक के सामने जाँच के समय प्रस्तुत करें।

स्थायी निःशक्तता में कमाने की क्षमता में हुई हानि के आकलन के लिए आपको उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा निर्धारित तिथि पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपने उपचार से संबंधित सभी दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होना चाहिए। मैडिकल बोर्ड मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल सैक्टर 9ए, गुरुग्राम में होता है।

साथ ही प्रत्येक वर्ष में एक बार ई.एस.आई.सी. के शाखा कार्यालय में जाकर या सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर डाक के माध्यम से जीवन प्रमाण–पत्र जमा कराते रहें, जिससे आपको नियमित भुगतान किया जा सके।

आश्रितजन हितलाभ

आश्रितजन हितलाभ में रोज़गार चोट के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से दिये जाने वाले भुगतान को उसके सभी आश्रितों के बीच नियत अनुपात में साझा कर दिया जाता है।

यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति की विधवा को आजीवन या उनके पुनर्विवाह करने तक, बेटे को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक, बेटी का विवाह होने तक तथा अशक्त बेटी या बेटे को अशक्तता बने रहने तक दिया जाता है।

आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने की विधि

रोज़गार चोट संबंधी रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद आश्रितजन ई.एस.आई.सी. के शाखा कार्यालय में दावा फॉर्म भरकर जमा करेंगे।

इसके बाद आश्रितजन हितलाभ नियत अनुपात में आश्रितों के बीच बाँटकर मासिक भुगतान के रूप में दिया जाने लगता है।

जानने योग्य बातें

आश्रितजन हितलाभ पाने के लिए वर्ष में एक बार ई.एस.आई.सी. के शाखा कार्यालय में जाकर जीवन प्रमाण–पत्र जमा करते रहें, जिससे आपको नियमित भुगतान किया जा सके।

बेरोज़गारी भत्ता

ई.एस.आई.सी. से मिलने वाला बेरोज़गारी भत्ता रोज़गार की अनैच्छिक हानि या गैर–रोज़गार चोट या कंपनी/प्रतिष्ठान के बंद होने या छंटनी या 40 प्रतिशत या उससे अधिक की स्थायी निःशक्तता के कारण यदि बीमाकृत व्यक्ति बेरोज़गार हो जाते हैं तो उन्हें 24 माह की अवधि के लिए बेरोज़गारी भत्ते का मासिक भुगतान किया जाता है।

इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति द्वारा रोज़गार की अनैच्छिक हानि होने से 02 वर्ष पूर्व तक प्रत्येक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया होना चाहिए।

बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने की विधि

बेरोज़गार होने पर बीमाकृत व्यक्ति निर्धारित फॉर्म भरकर अपने परिचय–पत्र व बीमायोग्य रोज़गार से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा स्थायी निःशक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ ई.एस.आई.सी. के शाखा कार्यालय में जमा करें।

क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय, ई.एस.आई.सी. से प्राप्त स्वीकृति पत्र पर शाखा प्रबंधक, ई.एस.आई.सी. द्वारा दावे संबंधी कार्रवाई की जाती है तथा 0–12 महीने के लिए औसत मजदूरी के 50 प्रतिशत एवं 13–24 महीने के लिए औसत मजदूरी के 25 प्रतिशत की दर से भुगतान कर दिया जाता है।

जानने योग्य बातें

(क) बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त कर रहे व्यक्ति स्वयं व अपने आश्रितजनों के लिए चिकित्सा देखरेख भी ई.एस.आई. डिस्पेंसरी या अस्पतालों या आई.एम.पी. क्लीनिकों से प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) बेरोज़गारी भत्ते के दौरान बीमाकृत व्यक्ति कौशल उन्नयन के लिए 01 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं।

वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल

न्यूनतम 05 वर्षों तक बीमाकृत व्यक्ति बने रहने के बाद सेवानिवृत्ति की आयु पूरा होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमायोग्य रोज़गार छोड़ने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति व उसके जीवनसाथी को

ई.एस.आई.सी. अस्पतालों तथा डिस्पेंसरी में वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है।

वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की विधि

इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में अपने पहचान–पत्र, बीमायोग्य रोजगार से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा सेवानिवृत्ति प्रमाण–पत्र के साथ ई.एस.आई.सी. शाखा कार्यालय में जाकर 120/– रुपये वार्षिक आधार पर भुगतान करना चाहिए।

अन्य हितलाभ

प्रसव व्यय

बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को यदि प्रसव हेतु क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

केवल दो प्रसव के लिए। दरः रु. 7500/–प्रति मामला

अंत्येष्टि व्यय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय अधिकतम रु. 15,000/– का भुगतान करता है। इसके लिए फार्म 22 भरकर नियोजक से सत्यापित करा, बैंक खाते की विवरणी सहित संबंधित शाखा कार्यालय में जमा कराना होता है।

व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता

रोज़गार चोट के कारण शारीरिक रूप से अपंगता की स्थिति में।

जब तक व्यावसायिक प्रशिक्षण समाप्त न हो। दरः वास्तविक लिया गया शुल्क या रु. 123/–प्रतिदिन जो भी अधिक हो।

शारीरिक पुनर्वास

रोज़गार चोट के कारण शारीरिक रूप से अपंगता की स्थिति में।

जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केन्द्र में दाखिल रहता है। दर: औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत

सेवा मानक

हितलाभ के भुगतान के उद्देश्य के लिए समय सारिणी

क्रं	हितलाभ	समय सारणी	आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
1.	बीमारी हितलाभ	दावा प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर	1. फॉर्म - 8 2. फॉर्म - 10 3. 9 महीने की सेवा 4. बैंक खाता संख्या
2.	अंतयेष्टि व्यय	दावे की प्राप्ति के तुरंत बाद यानी उसी दिन	1. फॉर्म - 22 2. मृत्यु प्रमाण पत्र 3. आवेदक आईडी 4. बैंक खाता संख्या
3.	प्रसूति हितलाभ का पहला भुगतान	दावा प्राप्त होने के 14 दिनों के अन्दर	1. फॉर्म - 17 और 18 2. जन्म प्रमाण पत्र 3. फॉर्म - 10 4. बैंक खाता संख्या
4.	अस्थाई अपंगता हितलाभ का पहला भुगतान*	दावा पास होने के एक महीने के अंदर	1. शाखा प्रबंधक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी 2. फॉर्म - 8 और 10 3. निर्वहन पर्ची 4. बैंक खाता संख्या

5.	स्थाई अपंगता हितलाभ का पहला भुगतान*	दावा पास होने के तीन महीने के अंदर	1. जीवित प्रमाण पत्र 2. एक पासपोर्ट आकार का फोटो 3. दावा फॉर्म 4. बैंक खाता संख्या
6.	आश्रितजन हितलाभ का पहला भुगतान*	दावा पास होने के तीन महीने के अंदर	1. दावा फॉर्म 2. जीवित प्रमाण पत्र 3. एक पासपोर्ट आकार का फोटो 4. बैंक खाता संख्या
7.	बेरोज़गारी भत्ता	दावा पास होने के तीन महीने के अंदर	1. फार्म UA-1 2. फार्म UA-2

***दुर्घटना सूचना:** कारखाने/कम्पनी के परिसर में किसी दुर्घटना के मामले में या घर से कार्यस्थल पर आने और कार्यस्थल के घर जाने के दौरान, इसे कारखाने/कम्पनी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इस संबंध में नियोजक द्वारा ऑनलाइन दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती है। दुर्घटना की जांच के दौरान रिकॉर्ड - जैसे घोषणा फॉर्म की प्रति, वेतन रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड, उपचार संबंधी दस्तावेज़, एफआईआर की प्रतिलिपि (यदि कोई हो), पीएमआर/मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (घातक मामलों में), गवाह का बयान, तत्काल नियोक्ता और प्रधान नियोक्ता के बीच करार, की आवश्यकता होती है। नियाक्ताओं को ये सब जांच अधिकारी के समक्ष तुरंत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

बीमित कर्मचारियों के अधिकार

- अधिनियम के तहत किसी भी हितलाभ का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार, हस्तांतरणीय या आबंटनीय नहीं होगा।
- अधिनियम के तहत देय नकद हितलाभ किसी भी अदालत की किसी भी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- नियोक्ता की मज़दूरी को खारिज, निर्वहन या कम नही करेगा तथा बीमार कर्मचारी को बीमारी हितलाभ या मातृत्व हितलाभ आदि प्राप्त होने के दौरान दंडित नहीं करेगा।
- ईएसआई अधिनियम के तहत अंशदान के अपने हिस्से का भुगतान करने की उनकी देयता के कारण, कोई नियोक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्याप्त कर्मचारी की मज़दूरी कम नहीं करेगा।
- तत्काल निवारण के लिए किसी भी स्तर पर अपनी शिकायतों को पंजीकृत करने का अधिकार।
- चिकित्सा बोर्ड इत्यादि की किसी भी कार्यवाही/निर्णय के खिलाफ क.रा.बी. न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार।

हितलाभों का विवरण

क.रा.बी. निगम के संबंध में हितलाभ का विवरण सुनिश्चित करता है कि:

- हितलाभों की गुणवता और मात्रा निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार है।
- नकद हितलाभ बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को दिए गए समय सीमा के भीतर उनके बैंक खातों में सीधे उपलब्ध कराए जाते हैं।
- शाब्दिक तौर पर या कार्यशैली के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर लाभार्थियों का शोषण नहीं होता है।
- लाभार्थियों को हितलाभ का दावा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी, प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराया गया है।

- लाभार्थियों को सभी प्रकार के फॉर्म इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जो दावा दायर करने के लिए उन्हें आवश्यक हो सकता हैं।
- हितलाभ के विवरण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लाभार्थियों का शोषण नहीं किया जाता।
- क.रा.बी.निगम/क.रा.बी योजना प्रतिष्ठानों के लिए अधिसूचित कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा समय का सख्ती से पालन किया जाता है और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को हितलाभ के सुचारू प्रवाह में होने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
- लिखित शिकायतें पोस्ट करने के लिए कार्यालय परिसर में एक शिकायत बॉक्स रखा गया है।
- चिकित्सा देखभाल के लिए, कृपया अपने संबंधित क.रा.बी औषधालय पर जाएँ। क.रा.बी. निगम अस्पताल गुरुग्राम/मानेसर में अस्पताल सेवाओं के लिए, कृपया अपने क.रा.बी औषधालय के माध्यम से जाएँ।

मार्च 2018 को उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत शाखा कार्यालय एवं उसके पते

क्र. सं.	शाखा कार्यालय का नाम	पता	दूरभाष
1	शाखा कार्यालय, गुरुग्राम	421/7/15, सिविल लाइन्स, राजीव चौक, गुरुग्राम	0124–2322285
2	शाखा कार्यालय, डूंडाहेड़ा	मकान सं. 491, पीपल वाली गली, हनुमान मंदिर के पास, डूण्डाहेड़ा	0124–2349037
3	शाखा कार्यालय, मानेसर	क.रा.बी.नि. अस्पताल परिसर, प्लॉट सं. 41, सैक्टर – 3, आई.एम.टी. मानेसर – 122050	0124–2337531
4	शाखा कार्यालय, धारूहेड़ा	प्रथम तल, बी.एस.एन.एल. भवन, इन्डस्ट्रियल एरिया, धारूहेड़ा – 123106	01274–242546

मार्च 2018 को उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत अस्पताल एवं उसके पते

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	पता
1	क. रा. बी. नि. अस्पताल, गुरुग्राम	क. रा. बी. नि. अस्पताल, सेक्टर–09 ए, पेट्रोल पंप के पास, गुरुग्राम
2	क. रा. बी. नि. अस्पताल, मानेसर	क. रा. बी. नि. अस्पताल, प्लाट संख्या 41, सेक्टर 03, आई एम टी, मानेसर

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत औषधालय एवं उनके पते

क्र.सं.	औषधालय का नाम	पता
1.	क.रा.बी. औषधालय सं. 1, गुरुग्राम	प्लॉट सं. 14,सिविल लाईन, नियर शर्मा रेस्टोरेंट, गुरुग्राम – 122001
2.	क.रा.बी. औषधालय सं. 3, गुरुग्राम	प्लॉट सं. 14,सिविल लाईन, नियर शर्मा रेस्टोरेंट, गुरुग्राम – 122001
3.	क.रा.बी. औषधालय, बसई	प्लॉट सं. 14,सिविल लाईन, नियर शर्मा रेस्टोरेंट, गुरुग्राम – 122001
4.	क.रा.बी. औषधालय सं. 2, गुरुग्राम	प्लॉट सं. 380–381, उधोग विहार, फेस–2, गुरुग्राम – 122016
5.	क.रा.बी. औषधालय, पालम विहार	प्लॉट सं. 380–381, उधोग विहार, फेस–2, गुरुग्राम – 122016
6.	क.रा.बी. औषधालय, नाथूपुर	प्लॉट सं. 380–381, उधोग विहार, फेस–2, गुरुग्राम – 122016
7.	क.रा.बी. औषधालय, इस्लामपुर	मकान सं. 80–ए, नियर सुभाष चौक, दुरानिया मौहल्ला, इस्लामपुर – 122001
8.	क.रा.बी. औषधालय, कन्हई	मकान सं. 80–ए, नियर सुभाष चौक, दुरानिया मौहल्ला, इस्लामपुर – 122001
9.	क.रा.बी. औषधालय, खेड़की दौला	नियर अजय रेजीडेंसी होटल, नियर टोल प्लाजा, खेड़की दौला – 122104

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत औषधालय एवं उनके पते

क्र.सं.	औषधालय का नाम	पता
10.	क.रा.बी. औषधालय, सैक्टर – 37	नियर अजय रेजीडेंसी होटल, नियर टोल प्लाजा, खेड़की दौला – 122104
11.	क.रा.बी. औषधालय, मानेसर	राव अमर काम्पलैक्स, नियर अमर वाटिका, कासन रोड़, मानेसर – 122050
12.	क.रा.बी. औषधालय, कासन	राव अमर काम्पलैक्स, नियर अमर वाटिका, कासन रोड़, मानेसर – 122050
13.	क.रा.बी. औषधालय, धारूहेड़ा	नियर सब तहसील, हवेली, धारुहेड़ा – 123106
14.	क.रा.बी. औषधालय, धारूहेड़ा	नियर सब तहसील, हवेली, धारुहेड़ा – 123106
15.	क.रा.बी. औषधालय, बावल	नैचाना रोड़ बावल, जिला – रेवाडी , 123501
16.	क.रा.बी. औषधालय, सोहना	नियर निरंकारी कॉलेज, नूँह रोड़, सोहना – 122103
17.	क.रा.बी. औषधालय, नारनौल	मोतीनगर, मकान सं. 269, सिंघाना रोड़, नारनौल – 123001
18.	क.रा.बी. औषधालय, दौलताबाद	सपन पुंज, नियर शनि मन्दिर, दौलताबाद, गुरुग्राम – 122006

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत औषधालय एवं उनके पते

क्र.सं.	औषधालय का नाम	पता
19.	क.रा.बी. औषधालय, बिनौला	ब्ध्व ऋषि प्रकाश मेहरा, नियर स्टारएक्स स्कूल, ग्राम – बिनौला, गुरुग्राम – 122413
20.	क.रा.बी. औषधालय, रेवाड़ी	राजकीय कन्या व. मा. विद्यालय के सामने, नाई वाली चौक, रेवाड़ी
21.	क.रा.बी. औषधालय, रेवाड़ी	राजकीय कन्या व. मा. विद्यालय के सामने, नाई वाली चौक, रेवाड़ी
22.	क.रा.बी. औषधालय, नूँह	वार्ड नं0 3, मास्टर हाजी रफीक, हुसैन हॉस्पिटल के पीछे, जोगीपुर रोड़, नूँह

ESIC
HOSPITAL
RECEPTION
OPD
EMERGENCY